तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 121/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/264) बअनवान दुर्गाराम बनाम अलसीराम के का.मु. मानाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

दुर्गाराम व अन्य

बनाम

अलसीराम के का.मु. मानाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1,1/2, 1/4, 1/5 व 2
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 03

आदेश

दिनांक 03.03.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 158/2022 अनवान दुर्गाराम व अन्य बनाम अलसीराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि खसरा नं. 1944 रकबा 113.06 बीघा, खसरा नं. 1922 रकबा 09.08 बीघा के खातेदार काश्तकार है। माननीय राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार खातेदार के हितों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रक्षा हेतु अन्य के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रार्थना पत्र में मूल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था, इसलिए प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ अंतरिम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है, जो आदेश विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रापत करने के पश्चात अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय मांगा गया था। प्रार्थना पत्र में कृषि कनेक्शन की अनुमति बाबत प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ के विपरीत जाकर नलकूप खोदे जाने का आदेश भी जारी किया है तथा अन्य छूट भी दे दी गई है, जिस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित माना है तथा वाद घोषणा का होने के कारण किसी विशेष भू-भाग पर छूट नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उन्हें अपनी भूमि के उपयोग-उपभोग व प्रबंध करने के पूर्ण अधिकार है तथा रेस्पोडेंट्स कृषि कनेक्शन की आड़ में मौके पर कब्जा करने पर उतारु है, इसलिए अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 को अपास्त किया जावे एवं पूर्व आदेश दिनांक 12.08.2022 को यथावत रखे जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट्स के नाम से वादग्रस्त आराजी में कृषि कनेक्शन आया हुआ है। रेस्पोडेंट्स की ओर से कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि भी अदा की जा चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रेस्पोडेंट्स को कृषि कनेक्शन की विधिसम्मत छूट प्रदान की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी पर स्थाई प्रकृति का निर्माण एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना अप्रार्थी की इस्तदुआ से परे जाकर कृषि कनेक्शन की छूट के साथ ट्यूबवेल खुदवाये जाने की भी अपीलाधीन आदेश के जरिये छूट प्रदान किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष मे पाये जाते है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

विचारण न्यायालय के अभिलेख से विदित होता है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 121/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/264) बअनवान दुर्गाराम बनाम अलसीराम के का.मु. मानाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायायल में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का विधिसम्मत अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर